Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 110-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 4, 2020 (SRAVANA 13, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 4 अगस्त, 2020

संख्याः 67/आ०–1/पं०अ० 1/1914/धा० 31 तथा 32/2020.– पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 31 तथा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये आदेश पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा द्वितीय संशोधन) आदेश, 2020, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त आदेश कहा गया है) में, आदेश 1 में, विद्यमान सारणी के अन्त में,

(i) विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा तथा 6 मई, 2020 से जोड़ा गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

''परंतु कि शराब की बिक्री पर कोविड उपकर निम्नलिखित दरों के अनुसार लगाया जायेगा:–

मदिरा की किस्म	मदिरा का पैक आकार	पैक की प्रति ईकाई कोविड उपकर की दर (₹ में)
देशी मदिरा	750 मिली लीटर की बोतल	5
	375 मिली लीटर का अध्धा	3
	180 मिली लीटर का पव्वा	2
बीयर/पीने के लिए तैयार पेय/साईडर	स्ट्रॉन्ग बीयर/साईडर–सभी पैक आकार	5
	अन्य बीयर–सभी पैक आकार	2
	पीने के लिए तैयार पेय –सभी पैक आकार	2
भारत में निर्मित विदेशी मदिरा/मदिरा	750 मिली लीटर और उपर के बराबर पैक आकार	20
	375 मिली लीटर से 749 मिली लीटर के बीच किसी भी पैक का आकार	10
	किसी भी पैक का आकार 374 मिली लीटर से कम या उसके बराबर	5
आयातित विदेशी मदिरा	375 मिलीलीटर से अधिक पैक	50
	375 मिलीलीटर के बराबर या इससे कम पैक	25

कोविड उपकर थोक (अनु0–1 / अनु0–13 / अनु0–1खच) से लेकर खुदरा दुकानों (अनु0–2 / अनु0–14क) तक शराब की बिक्री पर लगाया जाएगा। ऐसे मामले में जहाँ अनु0–1 या अनु0–13 के अलावा अन्य स्रोतों से खुदरा ठेकों के अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा शराब के स्टॉक की खरीद की जाती है तो कोविद उपकर, जैसा कि लागू होता है, खुदरा ठेके के स्वयं (अनु0–2 / अनु0–14) अनुज्ञप्तिधारी पर लगाया जायेगा। निवर्तमान खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों से स्टॉक हस्तांतरण के माध्यम से खुदरा ठेके के अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा शराब के प्राप्त किये जाने की तरह। खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को इस तरह के स्टॉक के प्राप्त करने के एक दिन के भीतर कोविड उपकर की राशि उसके द्वारा जमा करनी होगी। उसे सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) के कार्यालय में शराब के प्रकार, मात्रा कोविद उपकर और जमा की गई राशि के बारे में जानकारी सहित विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।''।

3. उक्त आदेश में, टिप्पण में, पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

"(iv) सुरक्षा कार्मिकों को आपूर्ति के लिए निम्नलिखित आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जायेगा जब कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमैन्ट या पैरा सैनिक बलों के माध्यम से टरूप्स के लिए जारी की जाए:–

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	आबकारी शुल्क ₹ में
1	2	3
1	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा	395.00 प्रति प्रूफ लीटर
2	रम	90.00 प्रति प्रूफ लीटर
3	बीयर	80.00 प्रति बल्क लीटर
4	ड्रॉट बीयर	80.00 प्रति बल्क लीटर
5	साईडर	09.50 प्रति बल्क लीटर
6	वाईन	18.00 प्रति बल्क लीटर
7	पीने के लिए तैयार पेय	22.00 प्रति बल्क लीटर
8	भारतीय विदेशी मदिरा (बोटल इन ऑरिजन)	शून्य।''।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 4th August, 2020

No. 67/X-1/P.A. 1/1914/Ss. 31 and 32/2020.— In exercise of the powers conferred by sections 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following orders further to amend the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932, in their application to the State of Haryana, namely : -

1. These orders may be called the Punjab Excise Fiscal (Haryana Second Amendment) Orders, 2020.

2. In the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932 (hereinafter called the said orders), in order 1, at the end of the existing table,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted and deemed to have been inserted with effect from 6th May, 2020, namely:-

"Provided further that Covid Cess on sale of liquor shall be levied as per the following rates:-

Type of Liquor	Pack Size of Liquor	Rate of Covid Cess per unit of pack (in rupee)
CL	Quart of 750 ML	5
	Pint of 375 ML	3
	Nip of 180ML	2
BEER/RTB/ CIDER	Strong Beer/Cider – all pack size	5
	Other Beer – all pack size	2
	RTB – all pack sizes	2
IMFL/WINE	Pack size equal to 750 ML & above	20
	Any Pack size between 375 ML to 749 ML	10
	Any Pack size less than or equal to 374ML	5
IFL	Pack greater than 375 ML	50
	Pack less than or equal to 375 ML	25

The Covid Cess shall be levied on sale of liquor from wholesale (L-1/L-13/L-1BF) to retail outlets (L-2/L-14A). In case where the stock of liquor is procured by retail outlet licensees (L-2/L-14A) from sources other than L-1 or L-13, the Covid Cess, as applicable, shall be levied at the hands of retial outlet licensee itself (L-2/L-14A). Like liquor procured by retial outlet licensee by way of stock transfer from outgoing retail licensees. Retail licensee shall have to deposite the amount of Covid Cess to be levied at his hands within a day of procurement of such stock. He will also have to submit a statement containing the information about the type of liquor, quantity, Covid Cess leviable and amount deposited, in the office of the DETC (Excise) concerned.".

3. In the said order, in the note, for para (iv), the following para shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2020, namely,-

(iv) The following excise duty shall be levied for supply to defence personnel when issued to troops through Canteen Stores Department or Para Military Forces:-

Sr. No.	Kind of liquor	Excise Duty in ₹
1	2	3
"1.	Indian Made Foreign Spirit	395.00 per proof litre
2.	Rum	90.00 per proof litre
3.	Beer	80.00 per bulk litre
4.	Draught Beer	80.00 per bulk litre
5.	Cider	9.50 per bulk litre
6.	Wine	18.00 per bulk litre
7.	Ready to Drink Beverages	22.00 per bulk litre
8.	Indian Foreign Liquor (Bottle in Origin)	Nil.".

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

8860—C.S.—H.G.P., Pkl.